| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 11, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 01, 2021<br>*Chaitra 11, Thursday, Saka 1943- April 01, 2021* | |

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**देवस्थान विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 26, 2021**

**संख्या प.5(6)देव/2019 :-**राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के प्रमुख आस्था केन्द्र बेणेश्वर धाम के समग्र विकास हेतु “बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड” का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः-

| **बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड** | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री बेणेश्वर धाम हरिमन्दिर पीठाधीश्वर श्री अच्युतानन्द जी | अध्यक्ष |
| 2 | जिला कलेक्टर, डूंगरपुर | सदस्य |
| 3 | जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा | सदस्य |
| 4 | अति. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर | सदस्य-सचिव |
| 5 | संबंधित अधिकारी पर्यटन विभाग | सदस्य |
| 6 | संबंधित अधिकारी कला, संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण विभाग | सदस्य |
| 7 | संबंधित अधिकारी राजस्व विभाग | सदस्य |
| 8 | संबंधित अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 9 | संबंधित अधिकारी वन विभाग | सदस्य |
| 10 | संबंधित अधिकारी जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 11 | संबंधित अधिकारी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| 12 | संबंधित अधिकारी खान एवं पेट्रोलियम विभाग | सदस्य |
| 13 | श्री मावजी बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा नामित धाम परिसर में अवस्थित निम्नांकित मंदिर/ट्रस्टों के प्रतिनिधिः- | सदस्य |
| | (1) श्री शिवालय मंदिर ट्रस्ट | 01 |
| | (2) श्री वाल्मिकी मंदिर | 01 |
| | (3) श्री ब्रहमा मंदिर | 01 |
| 14 | राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं गुजरात के प्रतिनिधिः- | सदस्य |
| | (1) राजस्थान | 06 |
| | (2) मध्यप्रदेश | 03 |
| | (3) गुजरात | 03 |

बेणेश्वरधाम विकास बोर्ड के कार्य निम्न होगेः-

(क) बेणेश्वर धाम विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करना।

(ख) विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को व्यवस्थित करना व उन योजनाओं में समन्वय स्थापित करना।

(ग) सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को बढावा देने के लिये व्यवस्थित तरीके से आम जन में जागरूकता व संरक्षण की भावना का विकास करना।

(घ) बेणेश्वर धाम की नदियों के लिये प्रदुषण नियंत्रण और उनके विकास के लिये उपाय करना।

(ड.) अन्य ऐसे कार्य जो बोर्ड उचित समझे करवा सकेगा जो निम्न प्रकार के हो सकेगेः-

i. बेणेश्वरधाम विकास बोर्ड क्षेत्र के लिए नवीन योजना एवं परियोजनाओं का निर्धारण करना।

ii. यात्रियों हेतु विभिन्न हॉल व धर्मशालाओं का निर्माण करवाना।

iii. बेणेश्वरधाम हेतु धार्मिक आयोजनों को सम्पादित करवाना।

iv. बेणेश्वरधाम को मुख्य सड़क मार्ग तक जोड़ना।

v. नये व पुराने रास्तों पर अधिक शेल्टर शेड्स का निर्माण करवाना।

vi. मेडिकल/चिकित्सा सुविधा हेतु व्यवस्था करवाना।

vii. मेलों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

viii. बेणेश्वरधाम में वृक्षारोपण व उद्यान विकसित करवाना।

राज्य सरकार को बेणेश्वरधाम विकास बोर्ड को उसके कर्तव्यों के अनुपालन के बारे में विनिर्दिष्ट निर्देश जारी करने की शक्ति होगी और बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग, देवस्थान विभाग होगा।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

आलोक गुप्ता,

**प्रमुख शासन सचिव।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**